चारपाई पर ढोकर अस्पताल पहुंच रहे मरीज

सांसद के गृहग्राम के पास होने के बावजूद विकास से वंचित धनगांव

मंडला, 29 जुलाई. आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला के दो विकासखंड निवास और मंडला के बीच बसे विकासखंड मोहगांव के अंतर्गत आने वाला ग्राम धनगांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है.

यहां की स्थिति इतनी बदहाल है कि बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुँचाने के लिए आज भी चारपाई का सहारा लेना पड़ता है. जानकारी अनुसार ग्राम धनगांव पहुँचने का कोई समुचित साधन नहीं है. न तो यहाँ सड़कें पक्की हैं और न ही कोई वाहन गाँव तक आसानी से पहुँच पाता है. बारिश के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, क्योंकि दो किमी कच्ची सड़क कीचड़ से भर जाती है. इसी कारण गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को भी ग्रामीणों को चारपाई पर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है. यह मरीज के लिए अत्यंत पीड़ा दायक है. बताया गया कि विगत दिवस धनगांव निवासी हीरालाल यादव के स्वास्थ्य बिगडऩे पर यही दर्दनाक दृश्य देखने को मिला. उनके परिवार और ग्रामीणों ने मिलकर उन्हें चारपाई पर लिटाया और कीचड़ भरी व ऊबड़-खाबड़ राह से पैदल ही अस्पताल तक का सफर तय किया.

ग्राम की कर रहे अनदेखी

ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम धनगांव मंडला सांसद के गृहग्राम से सटा हुआ गाँव है. ऐसी स्थिति में यह उम्मीद की जाती थी कि यहाँ विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन हकीकत इसके उलट है, न तो पंचायत ने यहाँ की सड़क और स्वास्थ्य व्यवस्था की सुध ली और न ही जनप्रतिनिधियों ने इस ओर ध्यान दिया. ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी समस्याओं को कई बार पंचायत और जनप्रतिनिधियों के सामने रख चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. ग्रामीणों ने बताया कि बीमार होने की स्थिति में वाहन गाँव तक नहीं पहुँच पाता, जिससे कभी-कभी मरीज को समय पर इलाज नहीं मिल पाता और उसकी स्थिति गंभीर हो जाती है.ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस गंभीर समस्या को समझें और जल्द से जल्द सड़क निर्माण का कार्य करवाएँ, जिससे भविष्य में किसी भी मरीज को चारपाई पर ढोकर मुख्य मार्ग तक न ले जाना पड़े. इसके साथ ही गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए.

भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी बैकलॉग पदों पर हेरफेर का आरोप

हाईकोर्ट ने पीएससी सहित अन्य से मांगा जवाब

जबलपुर 29 जुलाई. उच्च शिक्षा विभाग की भर्ती में ओबीसी के बैकलॉग पदों में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने मामले में मप्र लोक सेवा आयोग व अन्य से जवाब तलब किया है. एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को निर्धारित की है.यह मामले सागर निवासी लीलाधर लोधी, दीपक सिंह ठाकुर, इंदौर निवासी शुभम चौधरी, प्रेमलता, बालाघाट निवासी खुशबू चौरसिया व अन्य की ओर से दायर किये गये है. जिनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व हितेंद्र गोहलानी ने पक्ष रखा. जिन्होंने बताया कि आयोग ने 30 दिसंबर 2024 को उच्च शिक्षा विभाग में अंग्रेजी विषय में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया. इसमें 2019 के पूर्व के अंग्रेजी विषय में ओबीसी वर्ग के कुल 31 बैकलॉग पदों को शामिल किया गया है. आवेदकों की ओर से कहा गया कि आयोग ने 30 दिसंबर 2022 को अंग्रेजी विषय में सहायक प्राध्यापक के कुल 200 पद विज्ञापित किए थे. उसमें ओबीसी के बैकलॉग पद विज्ञापित नहीं किए गए थे. उसकी नियुक्ति प्रक्रिया अभी जारी है.

याचिकाकर्ता उक्त 2022 की भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन उनको साक्षात्कार में कम अंक देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. इसके अलावा कई ओबीसी के अभ्यर्थियों को 13 फीसदी में होल्ड कर दिया.

वन विभाग की टीम ने 58 सांपों को कराया आजाद

नागपंचमी पर सुबह से टीम ने सपेरों की धड़पकड़ की

जबलपुर 29 जुलाई. नागपंचमी के दिन जहां एक ओर पूजन-अर्चन का दौर सुबह से शहर में जारी रहा तो वहीं दूसरी तरफ वन विभाग की अलग-अलग टीमें सपेरों की धरपकड़ में सक्रिय रही.

जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीमों द्वारा 21 सपेरों के चंगुल से 58 सांपों को आजाद कराया गया है. घायल अवस्था में मिले सांपों को वन विभाग द्वारा वेटरनरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वन परिक्षेत्र अधिकारी अपूर्व शर्मा के अनुसार सपेरों के पास से जितने सांप मिले हैं वो घायल अवस्था में थे, जिनका इलाज पहले जरूरी था. पकड़े गए सांपों में अधिकांश सांप कोबरा प्रजाति के थे वहीं धामन प्रजाति के भी सांप सपेरों के पास मिले हैं. मुख्य वन संरक्षक कमल अरोड़ा, वन मंडल अधिकारी ऋषि मिश्रा, उपवनमंडल अधिकारी पी.के. श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में वन परिक्षेत्र अधिकारी जबलपुर अपूर्व प्रखर शर्मा द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई.

सक्रियता का भय

वन परिक्षेत्र अधिकारी अपूर्व शर्मा ने बताया कि शहर में अलग-अलग इलाकों से सपेरों के पास से 58 सांपों को आजाद कराया गया है. सपेरों के पास से मिले सांप घायल अवस्था में थे किसी का होंठ सपेरों ने सिल दिया था तो किसी सांप के दांत निकाल दिए थे. सभी घायल सांपों को वेटरनरी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है. वहां से इलाज होने के बाद डॉक्टर जब प्रमाण पत्र स्वस्थ होने का देंगे. बता दें वर्ष 2023 में वन विभाग की टीम द्वारा 150 सांपों का रेस्क्यू, वर्ष 2024 में 65 सांपों का और अभी इस वर्ष अभी तक 57 सांपों को आजाद कराया गया है.

दरकी छत के नीचे पढ़ाई कर रहे बच्चे

जीर्ण-शीर्ण शाला को तोड़ने के आदेश, लेकिन विकल्प नहीं होने से मंडरा रहा खतरा

सुसनेर, 29 जुलाई. छतों से गिरता प्लास्टर, झूलते जंग लगे सरिये, बारिश में टपकता पानी, जर्जर फर्श में नौनिहालों का भविष्य गढ़ने को मजबूर शिक्षक, कुछ इस तरह के हाल सुसनेर ब्लॉक के अनेक शासकीय स्कूलों के भी हैं.

शायद जिम्मेदार झालावाड़ जिले में पिपलोदी ग्राम में हुई घटना का इंतजार कर रहे हैं. जब तक नवीन भवन नहीं बन जाते, इन शालाओं को वैकल्पिक भवनों में संचालित करना है. शासन की नजर में ब्लॉक में 16 ऐसी प्राथमिक शाला है, जो जीर्ण-शीर्ण हैं और इनको तोडऩे के स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश हैं, लेकिन स्कूल अभी तोड़े नहीं गए हैं. कलेक्टर ने आदेश जारी कर पीडब्ल्यूडी विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जीर्ण-शीर्ण स्कूल भवनों को तोड़कर उनको वैकल्पिक भवनों में संचालित करने के लिए निर्देशित किया है.

जीर्ण-शीर्ण स्कूलों को वैकल्पिक तौर पर आंगनवाड़ी, अतिरिक्त कक्ष व अन्य भवन में संचालित करने के निर्देश हैं, लेकिन ब्लॉक में 6 स्कूलों के पास कोई विकल्प ही नहीं हैं. ऐसे में ये स्कूल खतरे के बीच जर्जर भवन या खुले आसमान के नीचे चलाने की मजबूरी है. बीआरसी राधेश्याम पाटीदार ने बताया कि ब्लॉक की 187 में से 16 शालाओं के भवन जीर्ण-शीर्ण हैं, जिनको तोडने का आदेश है. इनको वैकल्पिक भवन में संचालित करना है. कलेक्टर से नवीन भवन का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए है.

स्कूल का छज्जा भरभराकर गिरा

डिंडौरी. जिले में सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब है, छात्र-छात्राओं को टपकती छत के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ रहा है. बारिश के कारण कई बच्चे बीमार हो रहे हैं. बजाग विकासखंड के सिंगार सत्ती गांव में मिडिल स्कूल का छज्जा सोमवार देर रात भराभर कर गिर गया. हेड मास्टर निखिल कुमार राम टेके ने बताया कि यह बिल्डिंग 11 साल पहले बनी थी. स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक कुल 123 बच्चे दर्ज हैं और पांच शिक्षक पदस्थ हैं. एसडीएम राम बाबू देवांगन ने सुबह निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि भवन ठीक है, सिर्फ बाहरी छज्जा टूटकर गिरा है.

गिट्टी डस्ट के ढेर में दबने से दो मासूम बच्चों की मौत

बुरहानपुर 29 जुलाई. निर्माणाधीन नेशनल हाइवे प्लांट पर डंपर से गिट्टी डस्ट को डालने के दौरान दो मासूम यहां खेलते हुए दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई. मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मोरदड़ का है.

सोमवार को परिवार के लोग दिनभर तलाश करते रहे, लेकिन शाम के समय ढेर के पास बच्चों के खिलौने मिलने पर शंका हुई तो ढेर में तलाश करने पर दोनों के शव मिले. सूचना पर शाहपुर पुलिस घटना स्थल पर जांच करने पहुंची और शवों को पीएम के लिए जिला अस्पताल रवाना किया. थाना शाहपुर प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने बताया कि घटना सोमवार दोपहर की है. ग्राम मोरदड़ स्थित कल्याण टोल्स के प्लांट परिसर में काम करने के लिए झाबुआ से मजदूर आए हैं. उन्हीं के बच्चे खेल रहे थे, लेकिन दोपहर बाद से दिखाई नहीं दिए.परिवार ने आसपास देखा तो नहीं मिले.

उन्हें लगा कि गांव में किसी के साथ चले गए होंगे. शाम करीब 6 बजे बच्चों के खिलौने डस्ट के डंपर के पास पड़े नजर आए, तभी शक हुआ कि बच्चे शायद डस्ट में दबे तो नहीं. जेसीबी के माध्यम से ढेर हटाया गया तो दोनों बच्चों के शव मिले.दोनों की उम्र पांच साल संभावना है कि परिसर में बच्चे खेल रहे होंगे.

शिवपुरी में सड़कों पर घूमते दिखे मगरमच्छ

शिवपुरी. शिवपुरी में विष्णु मंदिर से पुरानी शिवपुरी की ओर जाने वाली बर्फ फैक्ट्री रोड पर रात दो बजे के समय दो खतरनाक मगरमच्छ बेखौफ सड़क पर टहलते नजर आए, जिनकी लंबाई करीब 10 फीट बताई जा रही है. जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. यह रोड शिवपुरी की प्रमुख सड़कों में से एक है और माधव चौक से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित है. मगरमच्छों का इस तरह से मुख्य सड़क पर आना न सिर्फ खतरे से खाली नहीं है, बल्कि बड़ी घटना का संकेत भी देता है. स्थानीय लोगों के अनुसार, इस रोड के पास बने नाले में बीते कुछ वर्षों से एक दर्जन से ज्यादा मगरमच्छ दिखाई देते रहे हैं.

ग्वालियर चंबल में भारी बारिश लोग घरों में कैद, सड़कें लबालब

ग्वालियर 29 जुलाई. ग्वालियर में आज सुबह से रात तक जारी भारी बारिश ने शहर के जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। एक बार फिर से तिघरा डैम के गेट खोलना पड़े हैं. इसके बाद आसपास के गांवों को बाढ़ से बचाने अलर्ट कर दिया गया है.

लगातार बारिश के चलते शहर की सभी प्रमुख सड़कें जलमग्न हों गई हैं। निचली बस्तियों में बाढ़ जैसे हालत बन गए हैं. राहत टीमें तैयार रखी गई हैं. प्रशासन के अधिकारी लगातार निचली बस्तियों में बढ़ रहे पानी पर नजरें बनाए हुए हैं. ग्वालियर में लगातार हो रही तेज बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी है। कई इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति बन गई है। 24 घंटे में रिकॉर्ड बारिश हुई है। तिघरा बांध में तेजी से जलस्तर बढ़ने के बाद एक बार फिर बांध के गेट खोल दिए गए। आने वाले दो दिन और भारी बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन एवं लोगों की चिंता बढ़ गई है हालांकि प्रशासन ने सतर्कता को ही सुरक्षा को बताया है। भारी बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। जल संसाधन विभाग की योजना है कि बारिश कम होने पर तिघरा का जलस्तर 740 फीट तक भरा जा सकता है.

शिवपुरी में बाढ़ पीड़ितों का रेस्क्यू तेज

एसडीआरएफ ने कई ग्रामीणों को सुरक्षित निकाला बाहर

शिवपुरी 29 जुलाई. जिले में हो रही लगातार भारी वर्षा के कारण विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है. राहत तथा बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ एवं होमगार्ड की टीमें विभिन्न प्रभावित इलाकों में लगातार कार्य कर रही हैं.

जिले के इंदार तहसील स्थित ग्राम जरमाई से कुल 20 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. इसी तरह कोलारस तहसील के सजाई गांव में रेस्क्यू कार्य पूरा कर लिया गया है. वहीं तहसील नरवर के ग्राम सागौली और सुडापुरा में राहत दल के द्वारा रेस्क्यू कार्य जारी है. तहसील बदरवास के ग्राम गुरुवार खुर्द में फंसे हुए छह बच्चों, दो महिलाओं और एक पुरुष को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है. तहसील रन्नौद के ग्राम लगदा में भी रेस्क्यू जारी है. इसके अतिरिक्त बिजरौनी गांव में पांच महिलाएं टापू जैसी स्थिति में फंसी हुई हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू दल प्रयासरत है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बारिश मौसम ऐसा ही रहेगा. कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश का दौर जारी रहेगा. ऐसे में निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों से समय रहते सुरक्षित स्थान पर जाने का आग्रह किया गया है.

कार से कर रहे थे शराब की तस्करी, नाकाबंदी कर पकड़ा

आरोपी वाहन से गुजरात की ओर जा रहे थे

रतलाम 29 जुलाई. पुलिस ने नाकाबंदी कर हजारों की शराब पकड़ी हैं. आरोपी कार की डिक्की में भरकर अवैध तरीके से शराब की तस्करी कर गुजरात ले जा रहे थे.

जानकारी के अनुसार जिले के आदिवासी अंचल के चैनपुरा का बाबू कार से देशी शराब की 7 पेटियों लेकर गुजरात की ओर जाने वाला था, तभी पुलिस ने नाकाबंदी की. 8 लेन पर तलाशी के दौरान डिक्की से 26 हजार रुपए से अधिक की शराब मिली. आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने कार्रवाई की है. मिली जानकारी के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी गायत्री सोनी को मुखबिर से सूचना मिली थी. जिस पर कार्रवाई की गई. मुखबिर के बताए स्थान पर नाका बंदी की गई. कुछ देर बाद संदिग्ध कार क्रमांक एमपी 09सीजी 3105 आई तो उसे रोका गया. चालक बाबू (33) पिता केशाजी गुर्जर निवासी ग्राम चैनपुरा, थाना रावटी जिला रतलाम से पूछताछ की गई. कार की तलाशी लेने पर अवैध रूप से लेजा जा रही 7 पेटी 54 बल्क लीटर देशी अवैध प्लेन शराब जब तक की गई जिसकी कीमत 26250 रुपए है.

कोरियर वाहन से पकड़े सोने के साथ लाखों रुपए

थांदला 29 जुलाई. भारतमाला परियोजना अंतर्गत दिल्ली मुंबई 8 लेन हाइवे बनने से आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि को देखते व थांदला पुलिस द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.

देर रात थांदला एसडीपीओ नीरज नामदेव व थाना प्रभारी अशोक कनेश स्वयं गश्त भी लगा रहे है. इस दौरान बीती रात उनके द्वारा एक कोरियर वाहन से मादक पदार्थ की आशंका में तलाशी ली गई जिसमें कोरियर वाहन से करीब 74.15 कि.ग्रा. चांदी, 330 ग्राम सोना (बॉक्स सहित), 78 लाख 99 हजार 500 रुपये नकदी प्राप्त हुए. इस सम्बंध में जब कोरियर वाहन के ड्राइवर से सख्ती से पूछताछ की गई तो संतोषप्रद जवाब नही मिला जिससे थांदला पुलिस ने वाहन को जप्त कर आयकर व जीएसटी विभाग को सूचना दे दी है. एसडीओपी नीरज नामदेव व थाना प्रभारी अशोक कनेश ने बताया कि रात पेटलावद भैरुघाट पर गश्त के दौरान कोरियर वाहन में उक्त माल झांसी से राजकोट से जाने वाला था, लेकिन जांच कर माल को बरामद कर लिया है. इस संदर्भ में ड्राइवर व उनके दो साथी कैलाश बाबूलाल रायकवार (दतिया), राजेश रायकवार व अजय गुप्ता (झांसी) को पुलिस में बिठाकर अन्य पूछताछ की जा रही है. जिसमें उन्होंने बताया कि उक्त माल झांसी के वही उसके अनुसार माल झांसी के व्यापारी आलोक हरिशंकर अग्रवाल का है. सूत्रों के अनुसार उक्त व्यापारी द्वारा पहले भी इसी तरह माल की तस्करी देखी गई थी जिसमें अन्य पुलिस ने कार्यवाही की थी हालांकि पूरा मामला अभी जाँच के दायरें में है.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

(CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस: केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13(2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13(2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
1.	147655448	गृह ऋण	16.07.2025	रु.5,97,002.91/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1.असलम मब्लू 2.रानी बी

संपत्ति का पता- मकान संख्या 7/1 का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, कुल क्षेत्रफल-750 वर्गफुट (69.70 वर्ग मीटर), वार्ड संख्या 20 (सरल संख्या 1024), पीएच नंबर 77, ग्राम कालादेह, ग्राम पंचायत-बरोठा, देवास, मध्य प्रदेश, और उक्त संपत्ति निम्नलिखित से घिरी हुई है- पूर्व- मब्बू खां का प्लॉट, पश्चिम- आबादी मार्ग, उत्तर- आबादी मार्ग, दक्षिण- खाली जमीन.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13(2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13(2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
2.	129848983	संपत्ति पर ऋण	23.04.2025	रु.9,54,576.80/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1.बबलू सीन 2.मुकेश सेन

संपत्ति का पता- वह सारा टुकड़ा और मकान संख्या 234/5 के पूर्वी भाग का पार्सल, जिसका क्षेत्रफल 350 वर्ग फीट, देवी आदर्श इंदिरा नगर, तहसील एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश-452001 में स्थित, और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व- स्वयं शर्मा का मकान, पश्चिम- विक्रेता का शेष भाग, उत्तर- रोड, दक्षिण- गली.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13(2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13(2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
3.	121503854	संपत्ति पर ऋण	09.04.2025	रु.10,61,254.60/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1.रियाजुद्दीन नादान 2.फरजाना रियाजुद्दीन

संपत्ति का पता- प्लॉट/मकान संख्या 23/1 (वर्तमान संख्या 24/1) का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 500 वर्ग फुट या 46.46 वर्ग मीटर और निर्मित क्षेत्रफल 500 वर्ग फुट या 46.46 वर्ग मीटर है, सुपर पैलेस कॉलोनी, खजराना, निपनिया रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश- 452007 में स्थित है, और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व- मकान जाहिद भाई, पश्चिम- सेठी का मकान, उत्तर- रोड, दक्षिण- गली.

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13(4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत बिक्री/पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/-

प्राधिकृत अधिकारी

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

दिनांक: 30.7.2025

स्थान: मध्यप्रदेश

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

चर्चा | मप्र हाईकोर्ट के नवनियुक्त न्यायाधीश निरंकारी ने कहा

मजबूत लोकतंत्र के लिए शक्तिशाली न्यायपालिका जरूरी

ग्वालियर 29 जुलाई. लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका को आवश्यक माना गया है. देश की स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक दौर में भारतीय न्यायपालिका शक्तिशाली रही है.

भारतीय न्यायपालिका मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है जो लोकतंत्र के लिए परम आवश्यक है. यह कहना है मप्र उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बनाए गए ग्वालियर के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार निरंकारी का. अपनी नियुक्ति के उपरांत मप्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ लेने के लिए जबलपुर रवाना होने से पूर्व नवभारत संवाददाता से चर्चा में अजय कुमार निरंकारी ने स्वीकार किया कि भारत में विधिक क्षेत्र चुनौतियों, उज्जवल संभावनाओं से परिपूर्ण है जिसका नित दिन परिमार्जन एवं संवर्धन हो रहा है. निरंकारी कहते हैं कि न्यायाधीश का मुख्य कर्तव्य निष्पक्ष रूप से न्याय करना है, जिसमें कानून की व्याख्या करना, साक्ष्यों का मूल्यांकन करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सुनवाई निष्पक्ष और कुशल तरीके से संचालित हो. न्यायाधीशों को बिना किसी डर या पक्षपात के कानूनों को बनाए रखना होता है. न्यायाधीशों के कर्तव्य और जिम्मेदारियों को एक परिभाषा व सीमित दायरे में नहीं बांधा जा सकता है. भारत जैसे बड़ी आबादी एवं विविध जीवनशैली एवं कार्य संस्कृतियों वाले राष्ट्र में ये चुनौतियां और विस्तृत हो जाती हैं.न्यायाधीशों को यह निर्धारित करने के लिए कानून की व्याख्या करनी होती है कि यह किसी विशेष मामले पर कैसे लागू होता है. न्यायाधीशों को यह निर्धारित करने के लिए साक्ष्यों का मूल्यांकन करना होता है कि क्या यह स्वीकार्य है और यह मामले पर कैसे लागू होता है. न्यायाधीशों को यह सुनिश्चित करना होता है कि सुनवाई निष्पक्ष और कुशल तरीके से संचालित हो.

विधिक क्षेत्र में स्वर्णिम कैरियर रहा है निरंकारी का

गौरतलब है कि भारत सरकार ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है. शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार निरंकारी को हाईकोर्ट जज नियुक्त किया गया है. वे शपथ के बाद हाईकोर्ट में काम शुरू करेंगे. अब ग्वालियर बार से जजों की संख्या छह हो चुकी है. ग्वालियर बार से पहली बार 6 जज हाईकोर्ट में एक साथ काम करेंगे. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद केंद्र सरकारी ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी. अजय कुमार निरंकारी ने एमएलबी कॉलेज से 2002 में लॉ की डिग्री ली. डिग्री के बाद उन्होंने 2002 में वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम बिहारी मिश्रा के ऑफिस में वकालत की शुरुआत की. श्याम बिहारी मिश्रा के ऑफिस में सिविल, क्रिमिनल में पैरवी की. महाधिवक्ता कार्यालय में 2017 से 2019 तक उप शासकीय अधिवक्ता रहे. 2021 में फिर शासकीय अधिवक्ता बनाया गया. वर्तमान में शासकीय अधिवक्ता पद पर कार्य कर रहे थे. हाईकोर्ट जज पद पर नियुक्ति के बाद वे शासकीय अधिवक्ता के पद के तत्कालीन दायित्व से मुक्त हो गए हैं.